(Reg.-235)13-12-2004

म.प्र.राज्य सहकारीबीजउत्पादक एवंविपणनसंघमर्या.

(मध्यप्रदेशराज्य का सहकारिता शीर्ष संस्थान)

मुख्यालय-चतुर्थतलसमन्वय भवन (अपैक्स बैंक) टी.टी. नगरभोपाल-462003 (म.प्र.)

☎ 0755-2551493 Email seedfedcomp@gmail.com

क्रं./उत्पा./प्र.बी./रबी-2024-25/2024/542 भोपाल, दिनांक 22/07/2024

प्रति,

1. संयुक्त आयुक्त सहकारिता
   सह क्षेत्रीय प्रबंधक, बीज संघ संभाग (समस्त)
2. उपायुक्त/सहायक आयुक्त सहकारिता
   सह जिला प्रबंधक बीज संघ जिला (समस्त)

विषयः- रबी 2024-25 हेतु प्रजनक बीजों के मांग, आवंटन, उठाव एवं वितरण नीति।

विगत वर्षों से कृषि विभाग द्वारा बीज संघ को प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्रों से खरीफ एवं रबी की विभिन्न फसलों की किस्मों के प्रजनक बीजों का आवंटन प्राप्त हो रहा है तथा आवंटित प्रजनक बीजों का वितरण बीज संघ द्वारा अपने क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयों के माध्यम से सदस्य बीज उत्पादक समितियों को निर्धारित नीति अनुसार किया जा रहा है।

गत वर्ष/सीजन की भांति, रबी वर्ष 2024-25 में भी, संघ को संचालक कृषि के माध्यम से आवंटित होने वाले प्रजनक बीजों का स्वयं उठाव कर, सदस्य प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों को वितरण किया जाना है, जिसके लिए निर्धारित नीति निम्नानुसार है-

1. रबी वर्ष 2024-25 हेतु बीज संघ को प्रजनक बीज का आवंटन, संचालक कृषि मध्यप्रदेश द्वारा भारत सरकार को रबी 2024-25 हेतु पूर्व में प्रस्तुत मांग में उल्लेखित फसल/किस्मों के आधार पर, सितम्बर-अक्टूबर 2024 में किया जाना संभावित है। सदस्य बीज उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा रबी की मुख्य फसलों जैसे- गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों तथा अलसी जो मध्यप्रदेश राज्य हेतु अनुशंसित है (फसल एवं प्रजातिवार सूची संलग्न है) के प्रजनक बीज की मांग बीज संघ के नवनिर्मित पोर्टल के माध्यम से **01 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक संलग्न मांग आवेदन पत्र सहित प्रपत्र(1) एवं (2)** में उप/सहायक आयुक्त सहकारिता सह जिला प्रबंधक, बीज संघ को प्रस्तुत की जावेगी। नियत तिथि के पश्चात् किसी भी सदस्य बीज समिति की रबी प्रजनक बीजों की ऑफलाइन मांग, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जावेगी। जिला कार्यालय द्वारा समितिवार प्रपत्र (1) की मांग, संबंधी जानकारी बीज संघ की वेबसाईट **www.beejsanghmp.org** पर निर्मित पोर्टल पर ऑनलाइन फीड कराई जावेगी। आवेदन पत्र एवं प्रपत्र (1) एवं प्रपत्र (2) के प्रारूप वेबसाईट पर उपलब्ध है। ब्रीडर बीज की आनलाइन मांग के लिए सभी जिला अधिकारियों को पोर्टल पर लॉगइन हेतु यूजर आईडी/पासवर्ड पूर्व में प्रदाय किया गया है।
2. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता सह जिला प्रबंधक बीज संघ द्वारा बीज उत्पादक समितियों से प्राप्त मांग पत्र अनुसार बीज संघ पोर्टल पर प्रजनक बीज मांग फीड कराकर, संकलित जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता सह क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय बीज संघ को अग्रेषित किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरान्त, मांग को बीज संघ भोपाल को ऑनलाइन अग्रेषित किए जावेगा। समितियों से

प्राप्त मांग पत्रों की हार्ड कॉपी जिला कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी, जिसे बीज संघ मुख्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर संघ मुख्यालय को भेजा जा सकेगा।

3. बीज समितियाँ बीज की मांग करते समय स्टैण्डर्ड पैकिंग साइज के आधार पर प्रति एकड़ हेतु निर्धारित मात्रा अनुसार ऑनलाइन मांग प्रपत्र (1) में प्रस्तुत करेंगी।

4. बीज संघ की सदस्य प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी संस्थाऐं, कृषि विश्वविद्यालय/कृषि अनुसंधान केन्द्रों से पोर्टल पर दर्शित, रबी फसलों के प्रजनक बीजों का सीधे स्वयं उठाव नहीं करेंगी अन्यथा उनको जिले के उप संचालक कृषि के माध्यम से प्रजनक बीज वितरण अनुदान और उत्पादन अनुदान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

5. बीज समितियों द्वारा प्रजनक बीज किस्मों की मांग प्रस्तुत करते समय, प्रथम मूल इच्छित किस्म की उपलब्धता नहीं होने अथवा कम होने पर, अन्य दो वैकल्पिक किस्मों की मांग का भी उल्लेख किया जाएगा। जिससे पहली इच्छित किस्म की उपलब्धता नहीं होने पर, दूसरी इच्छित, जो भी उपलब्ध हों, का प्रजनक बीज, समिति को प्रदाय किया जा सकेगा। यदि मूल एवं वैकल्पिक किस्मों का आवंटन बीज संघ को प्राप्त नहीं होता है अथवा कम प्राप्त होता है, तो भारत सरकार से संचालक कृषि मध्यप्रदेश के माध्यम से जिन किस्मों के बीज, बीज संघ को आवंटित किये जावेंगे, उनका आवंटन तदनुसार बीज समितियों को किया जावेगा तथा समितियों को उन आवंटित किस्मों के ही बीज उठाना होगा। बीज संघ द्वारा प्रदाय केन्द्रों पर अन्तिम रूप से उपलब्धता अनुसार उठाव उपरांत समितिवार वितरित बीजों की प्रविष्टि बीज संघ के पोर्टल पर की जावेगी, जो प्रत्येक जिला कार्यालय के पोर्टल पर दर्शित होगी।

6. बीज उत्पादक समिति द्वारा प्रजनक बीज के मांग के साथ ही, गत रबी 2023-24 में उत्पादित आधार बीज की उपलब्धता की जानकारी प्रपत्र (2) में प्रस्तुत की जाएगी। उल्लेखित उपलब्धता की जानकारी, यदि बीज समिति द्वारा मांग के साथ प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उनकी मांग मान्य नहीं की जाएगी। बीज की अग्रिम बुकिंग करते समय जिला कार्यालय स्तर पर इस बात का आंकलन किया जाएगा, कि बीज समिति द्वारा की जा रही, प्रजनक बीज की अग्रिम बुकिंग तर्क संगत है। इस बात पर गौर करना भी आवश्यक होगा कि संबंधित समिति के पास मांग की गई फसल/किस्म का गत वर्ष का कितना आधार बीज उपलब्ध है? ताकि तदनुसार बीज समिति, फसल की प्रजाति हेतु बीज मांग कर सकेगी।

7. गत खरीफ 2024/रबी 2023-24 सीजन में जिन बीज उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा प्रजनक बीजों की अग्रिम बुकिंग की गई थी तथा उन्हें बीज आवंटित किये गये थे, परन्तु उनके द्वारा बीजों का उठाव नहीं किया गया, ऐसी समितियों की मांग एकत्र नहीं की जाए, न ही उन्हें प्रजनक बीज उपलब्ध कराया जाए। ऐसी समितियों को मैदानी अधिकारी/कर्मचारी चिन्हित करेंगे।

8. समितियों द्वारा प्रजनक बीजों की मांग, भारत शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र दिनांक 09 मई 2022 द्वारा निर्धारित विक्रय दरों (संलग्न पत्र, जो वेबसाईट पर भी उपलब्ध है) के आधार पर, रबी प्रजनक बीज 2024-25 हेतु 25% राशि का **NEFT/RTGS** बीज समिति के नाम से संचलित बैंक खाते से सीधे मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित के **मध्यप्रदेश सहकारी बैंक मर्यादित, टी.टी. नगर शाखा के खाता क्रमांक <u>187001057654, आई.एफ.एस.सी.</u> CBINOMPABAA** में जमा कराने अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/कामर्शियल बैंक/अपेक्स बैंक की शाखा (जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक डी.डी. मान्य नहीं) के डिमाण्ड ड्राफ्ट (DD) जो 'मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित भोपाल' के नाम से भुगतान योग्य हो, जिला कार्यालय में जमा कराने के साथ की जाएगी। जिला कार्यालय द्वारा प्राप्त **NEFT/RTGS/DD** का विवरण पोर्टल में समितिवार दर्ज कराते हुए विवरण सहित जानकारी बीज संघ

A